कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति
की बैठक दिनांक 20.06.2011

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.06.2011 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक माननीय श्री सोहन पोटाई, सांसद, लोकसभा क्षेत्र कांकेर एवं अध्यक्ष जिला सतर्कता निगरानी समिति कांकेर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

उपस्थित पदाधिकारीगण

1 माननीय श्री सोहन पोटाई, सांसद कांकेर लो.स.क्षेत्र ।
2 माननीय श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक कांकेर वि.स.क्षेत्र ।
3 माननीय कु. सीरो कोमरे, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर ।
4 माननीय श्री जोहन लाल गावड़े अध्यक्ष, जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल ।
5 माननीय श्री बिरेश सिंह ठाकुर अध्यक्ष, जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर ।
6 माननीय कु. नीतू ठाकुर अध्यक्ष, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा ।
7 श्रीमती रूखमणी देवी, अध्यक्ष जनपद पंचायत चारामा ।
8 श्री एन.के. खाखा, कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9 श्री डॉ. एस. भारतीदासन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ।
10 श्री डी.के. केशर वन मंडलाधिकारी, भानुप्रतापपुर ।
11 श्री ए.के. वाहने, वन मंडलाधिकारी, वन मंडल पश्चिम भानुप्रतापपुर ।
12 श्री जे.आर. नायक, वन मंडलाधिकारी, वन मंडल सामान्य कांकेर ।
13 श्री व्ही.के. वच्छानी, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कांकेर ।
14 श्री समय लाल , कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभांग भ/स कांकेर ।
15 श्री एम.एल. उईके, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग भ/स भानुप्रतापपुर।
16 श्री एच.एस. मरकाम, कार्यपालन अभियंता लो.स्वा.यां. कांकेर ।
17 श्री आर.के. गर्ग, कार्यपालन अभियंता प्र.मं.ग्रा.स.यो. योजना इकाई 2।
18 श्री ए.आर. सिंह कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. कांकेर ।
19 श्री एस.के. सोनी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ।
20 श्री कपिल देव दीपक, उप संचालक कृषि ।
21 श्रीमती अंजु नायक, सहायक संचालक, जन संपर्क ।
22 सुश्री शैल ठाकुर, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ।
23 डॉ. आर.एन. पाण्डे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी ।
24 श्री आर.एस. भोई, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कांकेर ।
25 श्री आर.एन. हीराधर, जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर ।
26 श्री जे.एल. नेताम, सहायक आयुक्त आबकारी कांकेर ।

27 श्री ब्रजेश बाजपेई, डी.पी.सी. सर्व शिक्षा अभियान, कांकेर ।
28 श्री आर. के राय, परियोजना अधिकारी केडा कांकेर ।
29 श्री एस.के. अहिरवार, सहायक संचालक मत्स्य कांकेर।
30 श्री कृष्ण कांत मिश्रा सहायक संचालक उद्यान कांकेर
31 श्री एस.एस. बघेल, मैनेजर उद्योग कांकेर ।
32 श्री नरसिंह राज सहायक प्रबंधक, एन.एच.पी.सी. कांकेर ।
33 श्री आर.के. जैन, उप संचालक पंचायत कांकेर।
34 श्री बी.आर. ठाकुर, जिला रोजगार अधिकारी कांकेर ।
35 श्री हरीश तिवारी, सी.एफ.सी.बी. जगदलपुर ।
36 श्री योगेश हिरवानी, जिला विपणन अधिकारी कांकेर
37 श्री सी.एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें कांकेर।
38 श्री आर.एल. नेगी नोडल अधिकारी सी.सी.बी. कांकेर।
39 श्री पी.के. चौबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर।
40 श्री राजेन्द्र पडोटी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नरहरपुर ।
41 श्री एस.डी. बंजारे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा ।
42 श्री रमेश कुमार जायसवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कांकेर।
43 डॉ. डी.के. रामटेके, डीएमओ स्वास्थ्य कांकेर ।
44 श्री ए.के. बाजपेयी सहायक संचालक, रेशम, कांकेर ।
45 श्री जी.आर. ठाकुर, खाद्य अधिकारी कांकेर ।
46 श्रीमती हेमलता वैष्णव प्रतिभा मंच कांकेर ।
47 श्री आर.डी. खापर्डे, ए.एम.ओ. कांकेर ।
48 श्री पी.एम. साहू, अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. कांकेर ।
49 श्री पी.के. मेश्राम अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. नरहरपुर कांकेर ।
50 श्री आई.एल. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. कोयलीबेड़ा कांकेर ।
51 श्री आर.भट्टाचार्य, अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. भानुप्रतापपुर कांकेर ।
52 अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. भानुप्रतापपुर कांकेर ।
53 श्री आई.एल. साहू, अनुविभागीय अधिकारी ग्रा.यां.से. चारामा ।
54 श्री एन. खान, उपयंत्री जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर ।
55 डॉ. एम.पी. सिंह चौहान, जिला आयुर्वेद अधिकारी कांकेर ।
56 एल.के. देशमुख रा.नि. खनिज शाखा ।
57 श्री राजीव सिंह, डी.पी.एम. ।
58 श्री व्ही.बी. एस. परते, अनुविभागीय अधिकारी, एन.एच. कांकेर ।
59 श्री एच.एल. बंजारा, वि.वि.अ. प्रतिनिधि मुख्य कार्य. अधि. जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल ।
60 श्री आई.एल. साहू डी.ओ/प्रति, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा ।

सर्वप्रथम जिला कलेक्टर श्री एन.के. खाखा के द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों /समिति के पदाधिकारियों के स्वागत उद्बोधन के पश्चात् जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री सोहन पोटाई जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की अद्यतन स्थिति माह जून 2011 की जानकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस.भारतीदासन के द्वारा समिति के समक्ष रखी गयी । उक्त जानकारियों के संदर्भ में माननीय सांसद महोदय तथा माननीय विधायकगण एवं सदस्यों के द्वारा योजनाओं के कियान्वयन में पायी गयी कमियो,

आ रही कठिनाईयों पर कार्य एजेंसियों से जानकारी प्राप्त कर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की गई तदनुसार अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय में अवगत कराया गया कि इस मद में स्वीकृत रूपये 3671.01 लाख में से रूपये 1089.59 लाख का व्यय किया जाकर रूपये 2581.42 लाख राशि शेष है । योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 में प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये गये कार्यों में से 1667 कार्यों के लिये मजदूरी में रू. 3197.403 एवं सामग्री में व्यय राशि रूपये 795.424 लाख इस प्रकार कुल व्यय राशि 3992.827 लाख है ।

152679 परिवार को 15 जून के अंत तक जॉब कार्ड जारी किये गये थे जिनमें से 29899 परिवार के द्वारा कार्य की मांग की गयी जिन्हें नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिसके तहत 692600 लाख मानव दिवस सृजित कराया गया इस प्रकार वित्तीय वर्ष में 100 दिवस रोजगार की संख्या 23 रही एवं इस पर 1089.59 लाख की राशि व्यय की गयी है ।

माननीय सांसद महोदय द्वारा कुछ क्षेत्रों में योजना अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलंब संबंधी शिकायत विषयक अवगत कराया गया कि अंदरूनी क्षेत्रों के बैंक शाखा में अधिक कैश न रखने की व्यवस्था के कारण अंतागढ़ एवं दुर्गूकोंदल विकासखंडों के कुछ क्षेत्रों में ऐसी समस्यायें आयी है, उक्त क्षेत्र में बैंक द्वारा हेलीकाफ्टर के माध्यम से राशि की आपूर्ति बैंक में की जा रही है, इस वजह से कुछ क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें दर्ज की गयी है, जिसे बैंक एवं पोस्ट आफिस के आपसी समन्वय से दूर कर लिया गया है । बैंक सेवा से दूरस्थ क्षेत्रों में बिजनेस करस्पांडेंस हब लागू कर उक्त समस्या को पूर्णतः दूर कर दिया जावेगा ।

कलेक्टर महोदय द्वारा रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की एजेंसीवार पंचायतवार समीक्षा की गयी जिसमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पास 95 अपूर्ण, प्रधानमंत्री ग्राम संड़क योजना के पास 65 , जल संसाधन विभाग के पास 122 , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के पास 8, विद्युत विभाग के पास 1, कृषि विभाग के पास 7 एवं रेशम विभाग के पास 3 कार्य अपूर्ण हैं, जिन्हें समय सीमा में पूर्ण करने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वन मंडलाधिकारियों से जिले में संचालित लाख प्रोसेसिंग यूनिट के बारे मे जानकारी ली गयी अवगत कराया गया कि उक्त यूनिट विभागीय मद से तैयार करायी गयी है, इसमें विद्युत संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति शीघ्र पूरी किये जाने हेतु विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया ।

जनपद पंचायत चारामा अंतर्गत भीरागांव में कार्यशाला भवन निर्माण हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया, यदि उक्त मद में राशि की कमी हो तो इस हेतु सांसद निधि से पृथक से मांग पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सांसद महोदय द्वारा निर्देशित किया गया ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिये कुल 53 कार्यों के लिये रू. 302.32 लाख की राशि स्वीकृत की गयी जो प्रगतिरत हैं ।

सांसद महोदय द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना अंतर्गत चारामा विकास खंड में बोरवेल खनन संबंधी जो कार्य पूर्व में जनपद पंचायत चारामा द्वारा प्रकियाधीन थे उसपर अनियमिता से संबंधित धनराशि की वसूली के संबंध में जानकारी ली गयी । अवगत कराया गया कि जॉच एवं प्राप्त रिपोर्ट के आधार दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण पुलिस विभाग को सौंपे दिया गया है ।

12 वें वित्त योजना अंतर्गत 30 स्वीकृत कार्यों के लिये रू. 64.50 लाख राशि के विरूद्ध रू. 21.15 व्यय की जाकर 12 कार्य पूर्ण एवं 18 अपूर्ण हैं । जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त प्रथम एवं द्वितीय किश्त की कुल राशि रू. 687.69 के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को नियमानुसार वितरण की जानकारी प्रदान की गयी ।

इंदिरा आवास योजना अंतर्गत जिला पंचायत को उपलब्ध राशि 243.51577 लाख में मासांत तक व्यय रू. 34.680 किये जाने की जानकारी दी गयी । जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त लक्ष्य 1010 एवं पूर्व शेष अपूर्ण कार्य 341 सहित वित्तीय वर्ष हेतु कुल 1351 कार्यों का लक्ष्य प्राप्त है । जिसमें से 57.29 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है । शेष लक्ष्य की पूर्ति शीघ्र कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत 95.7322 रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिसपर आबटन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की जानकारी प्रदान की गयी ।

छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजनान्तर्गत कुल 273 कार्यों के लिये लागत राशि 620.50 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 499.11 व्यय किये जाकर 154 कार्य पूर्ण एवं 119 कार्य अपूर्ण हैं ।

हमारा छत्तीसगढ़ योजना अंतर्गत कुल 16 कार्यों के लिये लागत राशि 141.20 लाख एवं इस पर व्यय 96.36 लाख किया जाकर 16 पूर्ण कराये गये तथा 47 कार्य अपूर्ण हैं ।

ग्राम विकास योजना अंतर्गत 186.00 लाख 18 कार्यों के लिये स्वीकृत किये गये जिसमें से 154.80 लाख व्यय किया जाकर 14 कार्यों को पूर्ण कराया जा सका है एवं शेष 08 कार्य अपूर्ण हैं ।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ गौरव योजना अंतर्गत 42.35 लाख के 12 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें 40.93 लाख की राशि व्यय की जाकर 12 कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका हैं ।

उक्त सभी योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया ।

जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यकम अंतर्गत 8673 हे. के कार्यों में से 7152 कार्य पूर्ण एवं 1521 हे. पर कार्य शेष है । इस हेतु कुल स्वीकृत राशि 630.15 लाख एवं व्यय राशि 436.26 लाख एवं शेष राशि 194.48 लाख है ।

कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि, पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के पास किसी भी योजना की जो धनराशि वसूली योग्य शेष हैं उक्त राशि की वसूली हेतु अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही की जावे । सांसद महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इसके लिये पुलिस विभाग से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

उपरोक्तानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के ऐसे सभी कार्य जो अंदरूनी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्ण नहीं कराये जा पा रहे हैं अथवा काफी लंबे समय से अप्रारंभ हैं, उन्हें निरस्त करने हेतु प्रस्ताव पारित कराकर भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि स्थल परिवर्तन की कार्यवाही हेतु शासन स्तर से अनुमति प्राप्त की जा सके । यदि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यवाही लंबित हो तो अथवा जनप्रतिनिधि के परिवर्तन से पंचायत से बकाया राशि की वसूली शेष हो तो इसके लिये नियमानुसार कार्यवाही भी की जावे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त योजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति हेतु कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया गया कि लंबित कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जावे जिसमें संबंधित क्षेत्र के सचिव, उप अभियंता, तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी शामिल हों, जिससे निर्माण कार्यों की वास्तिविक भौतिक स्थिति प्रत्येक माह के अंत तक प्राप्त हो सके । यह भी निर्देशित किया गया कि बैठक तिथि से आगामी तीन महिने की स्थिति में आगामी बैठक के पूर्व जानकारी पृथक से प्रस्तुत की जावे ।

कलेक्टर महोदय द्वारा विकासखंडवार एजेंसियों के पास निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन एवं किचन शेड की समीक्षा की गयी । निर्देशित किया गया कि किचन शेड का कार्य स्कूल खुलने के पूर्व अवश्य पूरा करा लिया जावे एवं जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी भवन पूर्ण नहीं है उसे भी पूर्ण कर लिया जावे ।

नरहरपुर विकासखंड में जैतपुरी कोटलभट्टी मार्ग जो 8 कि.मी. का शेष रह गया है उसे लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना में सम्मिलित कराकर पूरा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । ग्राम दलदली में निर्मित स्टाप डेम के बांई ओर हो रहे मिट्टी का कटाव रोके जाने हेतु जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया गया ।

सांसद महोदय द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व मौसमी एवं संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के लिये स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया एवं हास्पिटलों में भी साफ–सफाई रखे जाने हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया ।

अंत में माननीय सांसद महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों / अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी ।

(डॉ.एस.भारतीदासन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.कमांक / 87/ कले. / नि.स.–जि.पं. / 2011 कांकेर, दिनांक 6/7/11

प्रतिलिपि :–

1. माननीय श्री ....को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, डी.के. एस. भवन रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. विकास आयुक्त , विकास भवन, सिविल लाईन रायपुर को सूचनाथ सम्प्रेषित ।
4. आयुक्त. बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) को भारत सरकार की वेबसाईट में इन्द्राज हेतु सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर